न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 58/2015

तारीख दायरा—29.06.2015

तारीख निर्णय—29.05.2019

1. श्री प्रतापलाल पिता उमा लाल मेघवाल निवासी रावमादडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री लक्ष्मणलाल पिता उमा लाल मेघवाल निवासी रावमादडा तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री कालू सिंह पिता प्रेम सिंह राजपूत निवासी नंगा जी का गुडा, तहसील गोगुन्दा।
2. श्री जोरवर सिंह पिता मक्खन सिंह राजपूत निवासी नंगा जी का गुडा, तहसील गोगुन्दा।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री दुर्गा शंकर पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सुथारमादडा पटवार क्षेत्र झाडोली कि जमाबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 14 में वर्णित आराजियात किता 8 कुल रकबा 2.0850 भूमि स्थित है । उक्त आराजियात भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 एंव प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एंव प्रतिवादीगण सयुक्त स्वामित्व खातेदार हो कर अपने— अपने हिस्सा पर काबिज हो कृषि कार्य करते आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगण के सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाघा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादीगण की एक तरफा साक्ष्य में शपथ पेश हुआ जो शामील मिसल किया गया एवं वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 के अवलोकन से वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी वादग्रस्त भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सुथार मादडा पटवार क्षेत्र झाडोली तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 14में कुल किता 8 रकबा 2.0850 स्थित भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। एतद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 16:13:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: